



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
"प्रकीर्ण वर्ग", देहरादून।

Website-<http://pwd.uk.gov.in>E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक-1725 / 174 सा0प्र0 / 2017

दिनांक 26 / 12 / 2017

"कार्यालय ज्ञाप"

दिनांक-01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् दिनांक-30.06.2017 से पूर्व टैक्स के आधार पर गठित अनुबन्धों में शासनादेश संख्या-2137 / 111(2) / 17-27 (सामान्य) / 2017 दिनांक-05.09.2017 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

कतिपय खण्डों से उक्त के सम्बन्ध में निर्देश चाहे गये हैं कि कुछ देयकों में उक्त प्रक्रिया के फलस्वरूप भुगतान की जाने वाली धनराशि कम हो रही है, जिस पर ठेकेदार सहमत नहीं हैं, तो क्या ठेकेदार की सहमति के बिना उक्त प्रक्रिया अनुसार आंकलित कम धनराशि का ही भुगतान ठेकेदार को किया जाना है अथवा अनुबन्ध की दरों पर ही भुगतान किया जाना है।

उक्त के विषय में स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-2137 / 111(2) / 17-27(सामान्य) / 2017 दिनांक-05.09.2017 के अनुसार ही कार्यवाही की जानी है।

ह/

(आर0सी0 पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0एवं सेतु (ग0क्षे0), लो0नि0वि0, देहरादून।
3. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वां वृत्त, लो0नि0वि0,।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थायी/रा0मा0/वि0यां0 खण्ड, लो0नि0वि0,।
8. समस्त सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को जी0एस0टी0 में अपलोड करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय)

20/12/17